प्रेस विज्ञप्ति
31.07.2026

ऑनलाइन विज्ञापन देखकर आय अर्जित करने की योजना से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 3.70 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वितीय नियम के अंतर्गत दिनांक 22.07.2026 को मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में उपलब्ध लगभग 3.70 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने अपनी जांच बेंगलुरु के मगदी रोड पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सदस्यों के नामांकन तथा जनता से धन एकत्र करने के लिए सदस्यता-आधारित एक संरचित मॉडल अपनाया था। संभावित व्यक्तियों से व्हाट्सऐप तथा अन्य ऑनलाइन संचार माध्यमों के जरिए संपर्क किया जाता था और उन्हें कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग तथा विज्ञापन देखने के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती थी। इच्छुक व्यक्तियों को कंपनी के वेब प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क पंजीकरण के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जाता था, जहां उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार करने होते थे। इसके पश्चात, कंपनी की आय अर्जित करने की योजना में भाग लेने की पात्रता तथा स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों को 1,109 रुपये (जीएसटी सहित) की राशि मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में जमा करनी होती थी। वर्तमान मामले में, मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल ने 06.12.2020 से 04.06.2021 की अवधि के दौरान जनता से लगभग 4.29 करोड़ रुपये एकत्र किए।

इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत की गई जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी द्वारा विज्ञापन देखकर आय अर्जित करने की ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, बल्कि एकत्र की गई धनराशि का उपयोग कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत व्यय/लाभ के लिए किया गया।

मामले में आगे की जांच जारी है।